प्रेषक,

संख्या- 720/1-10-2016-33(50)/2016

दिनेश कुमार सिंह,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महोबा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 17 अगस्त, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद महोबा के पेयजल संकट ग्रस्त ग्रामों में टैंकर द्वारा की गयी जलापूर्ति पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1676/सी0आर0ए0-13-दै0आ0-पे0ज0आ0-2016-17, दिनांक 22.06.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद महोबा के विभिन्न गंवों में टैंकर द्वारा जलापूर्ति किये जाने का उल्लेख करते हुये रू0 1,09,50,530/- की धनराशि स्वीकृत किये किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य स्तरीय दैवी आपदा राहत समिति की कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में, पेयजल संकट ग्रस्त ग्रामों में टैंकर द्वारा की गयी जलापूर्ति पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 1,09,50,530/- **(रूपये एक करोड़ नौ लाख पचास हजार पाँच सौ तीस मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपति के कारण राहत-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा। टी0आर0-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

3- शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में हीं आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत

Scanned by CamScanner

प्रदान किये जाने के लिये केवल दैवी आपदा मद से तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार धनराशि आहरित कर चेक/ड्राफ्ट/नकद के रूप में नियमानुसार वितरण किया जायेगा ।

4- यह धनराशि केवल पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में टैक्टर, टैंकर संचालन में व्यय के भुगतान पर नियमानुसार उपयोग की जायेगी। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

5- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता वितरण करने के उददेश्य से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस0डी0आर0एफ0) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन0डी0आर0एफ0) में सहायता देने की मदों और मापदण्डों में संशोधन सम्बन्धी भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग) के पत्र दिनांक 08.04.2015 के प्रस्तर-3 (राहत उपाय) के उप प्रस्तर-ग में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निमयानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय । राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

8- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये। व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह)
सचिव एवं राहत आयुक्त ।

संख्या-720(1)/1-10-16 , तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।

Scanned by CamScanner